

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **KAPASAN (167)** State of **Rajasthan** constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act.

1951, read rule 64 of the conduct of Election Rules, I declare that..

ARJUN LAL JINGAR of **HOUSE NO. 427 SADAR BAZAR RASHMI TEHSIL RASHMI** [sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** (name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Chittorgarh

Date : 11/12/2018



11/12/18
(MAHARAJA RAJENDRA PRASAD) (AYAK)
RETURNING OFFICER
KAPASAN 167
KAPASAN (167) ASSEMBLY CONSTITUENCY
(S.D.M.) KAPASAN

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम ओर आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

❖ 167, कपासन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री अर्जुन लाल जीनगर मकान नम्बर 427 सदर बाजार राशमी तहसील राशमी जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान:— चित्तौडगढ़

तारीख:— 11 दिसम्बर 2018



(महावीर प्रसाद नायक)
रिटर्निंग ऑफिसर (एस.डी.एम.) क्षेत्र
कपासन विधानसभा क्षेत्र -167-कपासन